

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या
06/2021

तारीख रजू
21.09.2021

तारीख निर्णय
24.02.2026

बउनवान

सुनील कुमार शर्मा पुत्र मोठया उर्फ मोतीलाल शर्मा, निवासी हॉडली तहसील मण्डावर, दौसा।

..अपीलांट

बनाम

सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत ढिगारिया भीम तहसील मण्डावर, दौसा।

..रेस्पोंडेन्ट

उपस्थित

1. अभिभाषक अपीलांट – श्री लक्ष्मीनारायण मीना।

अपील विरुद्ध नामान्तकरण सं. 82 दिनांक 21.05.2007 द्वारा
ग्राम पंचायत ढिगारिया भीम तहसील बैजूपाडा दौसा अन्तर्गत
धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

1. यह अपील अपीलांट की ओर से जरिये विद्वान अधिवक्ता इस आषय की पेश की है कि निर्णय मातहत न्यायालय दिनांक 21.05.2007 ग्राम पंचायत ढिगारिया भीम विधि विरुद्ध एवं रूयेदाद मिसल होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। विवादित आराजीयात ग्राम हॉण्डली, पटवार हल्का ढिगारिया भीम, तहसील मण्डावर, जिला दौसा में खतौनी संख्या 33 के खसरा सं. 221, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 239/434, कुल किता 8, कुल रकबा 1.09 हैक्टे. में स्थित है। विवादित आराजीयात अपील हिन्दू मुश्तर्का खानदान की अविभाजित भूमि रही है जो अपीलान्त को अपीलान्त के पिता मोठया उर्फ मोतीलाल को उनके पिता बिहारी लाल शर्मा से विरासत में प्राप्त हुयी है। अपीलान्त के पिता मोठया उर्फ मोतीलाल का स्वर्गवास दिनांक 07.01.2007 को हो चुका है तथा अपीलान्त के पिता के स्वर्गवास होने पर अपीलान्त का विवादित आराजीयात का विरासत का नामान्तकरण खोलते समय अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत ढिगारिया भीम ने अपीलान्त का नाम सहवन से सुनील कुमार के स्थान पर खेम चन्द पुत्र मोठया उर्फ मोतीलाल के नाम दर्ज कर दिया और उक्त नामान्तकरण के आधार पर अपीलान्त का नाम निर्णय दिनांक 21.05.2007 को सुनील कुमार के स्थान पर खेमचन्द दर्ज हो गया जबकि अपीलान्त के आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड, बैंक पास बुक तथा अपीलान्त के अन्य दस्तावेजात में अपीलान्त का नाम सुनील कुमार दर्ज है जो सही है। इसलिये अपीलान्त न्यायालय हाजा से अपने हक में इस अमर की दुरुस्ती करवाने का अधिकारी है कि विवादित आराजीयात अपील हाजा, जो कि अपीलान्त को विरासत में प्राप्त हुयी है, में सहवन से निर्णय जेरे अपील दिनांक 21.05.2007 में दर्ज किया गया नाम खेमचन्द को हजफ किया जाकर उसके स्थान पर सही नाम सुनील कुमार पुत्र मोठया उर्फ मोतीलाल दर्ज फरमाया जावे जो सही है, को राजस्व



उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे। इस ओर ग्राम पंचायत ढिगारिया भीम में ध्यान न देकर भारी कानूनी गलती की है। इसलिये निर्णय जेरे अपील मातहत ग्राम पंचायत ढिगारिया भीम दिनांक 21.5.2007 निरस्त किये जाने योग्य है। स्व. मोठया उर्फ मोठीलाल के खेमचन्द नाम का कोई पुत्र नहीं है। अपीलान्त का नाम सुनील कुमार के स्थान पर खेमचन्द दर्ज कर दिया जिसको नामान्तरकरण मे दुरुस्त कर सुनील कुमार दर्ज करवाया जाना आवश्यक है, अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर ध्यान दिये बिना नामान्तरकरण जेरे अपील पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्त को राजस्व रिकॉर्ड में हो रहे गलत नाम की पूर्व में कोई जानकारी नहीं रही। अपीलान्त को अपने नाम गलत होने की जानकारी सर्वप्रथम अपनी भूमि की बाबत किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिये हल्का पटवारी से जमाबंदी रिकॉर्ड आदि की नकल प्राप्त करने पर दिनांक 02.07.2020 को हुयी है। इससे पूर्व अपीलान्त को कोई जानकारी नहीं रही है। जानकारी होते ही बिना किसी प्रकार की देरी किये अपील अन्दर मियाद पेश है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलान्त स्वीकार फरमायी जाकर निर्णय नामान्तरकरण सं. 82 मातहत न्यायालय ग्राम पंचायत ढिगारिया भीम दिनांक 21.05.2007 अपास्त फरमाया जाकर अपीलान्त का सही नाम सुनील कुमार पुत्र मोठया उर्फ मोठीलाल दर्ज करने के आदेश फरमाया जावें। अन्य दादरसी जो अपीलान्त के हक में और अता फरमायी जावें।

2. अपील को दर्ज रजिस्टर करके रेस्पोंडेंट को नोटिस जारी किया गया। रेस्पोंडेंट द्वारा बावजूद तामील के जवाब अपील पेश नहीं किया। अतः रेस्पोंडेंट के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अपील में वर्णित कथनों के सम्बन्ध में, तहसीलदार बैजूपाडा की रिपोर्ट दिनांक 08.09.2025 के अनुसार, ग्राम हांडली के आराजी खसरा सं. 221, 223 लगायत 228, 239/434, कुल रकबा 1.09 हैक्टे. वादी व अन्य सहखातेदारों के मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड अनुसार सहखातेदार भूमि दर्ज रिकॉर्ड है। विवादित आराजीयात ग्राम हांडली में विरासत नामांतरकरण सं. 82 मोठया पुत्र बिहारीलाल के वारिसान खेमचन्द, ताराचन्द पिश्रान मोठया, शीला पत्नी मोठया के नाम ग्राम पंचायत ढिगारिया भीम के द्वारा दिनांक 21.05.2007 को स्वीकृत हुआ। उक्त नामांतरकरण मुताबिक सजरे व ग्राम पंचायत अनुसार सही होना प्रतीत होता है। अपीलांत सुनील कुमार पुत्र मोठया को ग्रामीण बोलचाल में खेमचन्द पि. मोठया के नाम से ही जाना जाता है जबकि अपीलांत द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज आधार कार्ड में सुनील कुमार पुत्र मोठीलाल दर्ज है।

3. अपील पर विद्वान अभिभाषक अपीलांत की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलांत ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा अपील को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. अपील पत्रावली, प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों यथा - तहसीलदार बैजूपाडा की रिपोर्ट, ग्राम पंचायत ढिगारिया भीम के द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण सं. 82 आदेश दिनांक 21.05.2007 का अवलोकन किया गया।

5. ग्राम पंचायत ढिगारिया भीम के द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 82 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त नामान्तरकरण के द्वारा ग्राम पंचायत ढिगारिया भीम द्वारा मोठया के फौत होने पर उसके वारिसान खेमचन्द, ताराचन्द, शीलादेवी के नामों की प्रविष्टी दर्ज की



गयी। तहसीलदार बैजूपाडा की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम हाण्डली के आराजी खसरा सं. 221, 223 लगायत 228, 239/434 भूमि अपीलांट व सहखातेदारों के मध्य राजस्व रिकॉर्ड अनुसार दर्ज है। अपील पत्रावली के साथ प्रस्तुत आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मार्कशीट, मूल निवास में सुनील कुमार पुत्र मोठीलाल दर्ज है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत गोलाडा के द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 82 आदेश दिनांक 21.05.2007 में मोठया की विरासत का नामान्तरकरण दर्ज करते समय हुई त्रुटि को दुरुस्त किया जाना आवश्यक है। इसलिये उक्त नामान्तरकरण संख्या 82 को उक्त नामान्तरकरण के द्वारा दर्ज प्रविष्टी खेमचन्द पुत्र मोठया की हद तक अपास्त किया जाना उचित है।

आदेश

6. अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 आंशिक स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत ढिगारिया भीम के द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 82 आदेश दिनांक 21.05.2007 को उक्त नामान्तरकरण के द्वारा दर्ज प्रविष्टी खेमचन्द पि. मोठया की हद तक निरस्त किया जाता है और प्रकरण को इस निर्देश के साथ तहसीलदार बैजूपाडा को प्रति प्रेषित किया जाता है कि तहसीलदार बैजूपाडा उक्त नामान्तरकरण सं. 82 से सम्बंधित समस्त पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देकर उक्त नामान्तरकरण के द्वारा दर्ज प्रविष्टी खेमचन्द पि. मोठया के सम्बन्ध में जांच कर निर्णय पारित करे। तहसीलदार बैजूपाडा को आदेश की पालनार्थ लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)



निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 24.02.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)